ई-1752644

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30-10-2023

विषयः- जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरूद्ध जनपद-बलिया के बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-21870/सामा-1(8)/बलिया, दिनांक 05-07-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या-89/2019/3819जेएल/22-3-19-100(83)/2019, दिनांक 30-09-2019 द्वारा जिला कारागार, बलिया में जलभराव/बाढ़ की समस्या के दृष्टिगत बंदियों को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में अस्थाई रूप से स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति के क्रम में स्थानांतरित किये गये बंदियों को पुनः जिला कारागार, बलिया स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-28822/सामा-1(8)/बलिया, दिनांक 19-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में उल्लिखित 24 पुरूष बंदियों तथा 03 महिला बंदियों को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, अम्बेडकरनगर से पुनः जिला कारागार, बलिया में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।